<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1066/2026
हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–109/2026

धारा–85, 89, 69, 3(5) B.N.S. & ¾ D.P. Act.

07.05.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण विनय राय, मीना राय एवं आलोक कुमार की ओर से दर्ज मुकदमा हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–109/2026 मे गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद मे उभय पक्षो को सुना।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद की सूचिका ज्योति माला द्वारा सदर थानाध्यक्ष को टंकित आवेदन दाखिल किया गया कि "मेरी मुलाकात अमन कुमार से पानापुर लंगा मे दिनांक 16.11.2024 को हुयी थी उससे बात मोबाईल पर बात होने लगी दिनांक 21.11.2024 को आपस मे शादी कर लिये और पटना मे किराये के मकान मे पति पत्नी की तरह रहने लगे। मेरा यौन शोषण शुरू कर दिया। लड़का का पिता विनय राय, माता मीना देवी, उसका भाई आलोक कुमार मेरा पति सभी मिलकर पहली बार मेरा गर्भपात दवा खिलाकर जनवरी 2025 मे करा दिया तथा सभी मिलकर दोबारा जून 2025 मे गर्भपात करा दिया। अब मै दो महीना का गर्भवती हूँ पुनः मेरा जबरदस्ती गर्भपात कराना चाह रहा है। मै दिनाक 15.02.2026 को अमन के फोन मे देखी अमन का छेका का फोटो था और शादी दिनांक 12.03.2026 को तय है इसके बाद मे अमन को समझाई लेकिन अमन उल्टा मुझको मारपीट कर अपना घर चला गया। अपने घर से मेरे फोन करके अपनी मम्मी एवं भाई मुझसे 5 लाख रूपया दहेज की मांग की गयी तभी मै तुमको अपने घर मे आने दुगी। मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है इस कारण अकेला जान कर मुझे शोषण कर रहे है।"

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदक का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नही है। सूचिका पूर्व से विवाहित महिला है तथा उसे एक 08 वर्ष का संतान भी है। गर्भपात कराने का कोई प्रमाण नही है। आवेदकगण को प्रस्तुत वाद मे झुठा फसाया गया है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

Web Copy not Official

<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1066/2026
हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–109/2026

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदकगण झासा मे लेकर दो बार गर्भपात करा दिया गया तथा विवाह करने के लिए दहेज की मांग किया गया। विद्वान अपर लोग अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। आवेदकगण पर यौन शोषण का आरोप नही लगाया गया है बल्कि सह अभियुक्त अमन कुमार के उपर लगाया गया है। आवेदकगण पर गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया है परंतु अभी तक के अनुसंधान मे गर्भपात से संबंधित तथ्य स्पष्टता न आने की बात अनुसंधानकर्ता एवं पर्यवेक्षण अधिकारी ने दिया है। कांड दैनिकी की कंडिका 132 मे यह बात आयी है कि पीड़िता से अमन कुमार के माता–पिता के वार्तालात संबंधित ऑडियो, विडियो मांग बार बार किया गया तो वादनी द्वारा अभी तक उपलब्ध नही कराया गया। अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो मे आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वेलोग आरोप पत्र के पश्चात आरोप निर्माण तक प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेगे तथा अवर न्यायालय मे बंधपत्र के समय इस बात की अंडरटेकिग देगे कि वे न तो पीड़िता को या किसी अन्य साक्षी को प्रभावित करेगें और न ही किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगें। फलस्वरूप आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है कि दो सप्ताह के भीतर निम्न न्यायालय मे आत्मसमर्पण करे तथा 10,000–10,000 (दस–दस हजार) रूपये के दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किए जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1066 / 2026
हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–109 / 2026

Web Copy not Official

Date of Judgment/Order	07-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	07-05-2026
Uploading Date	13-05-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar